अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ. नरेश सोनी, आर.ए.एस

वादी

1.ईश्वरसिंह पुत्र उदयसिंह
2.वचनसिंह पुत्र उदयसिंह
3.सुरेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह
4.गोपालसिंह पुत्र उदयसिंह
जातियान राजपूत, निवासी पालड़ी (एम) तहसील शिवगंज जिला सिरोही

विद्वान अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा

बनाम

प्रतिवादीगण

1.खीमाराम पुत्र सोमाजी घांची निवासी पालड़ी (एम) तहसील शिवगंज जिला सिरोही मृतक के कायम मुकाम
1/1 भेराराम पुत्र खीमाजी
1/2 मुकेश उर्फ मोकाराम पुत्र खीमाजी
1/3 गेरी पुत्र खीमाजी
1/4 लीलु पुत्री खीमाजी
जातियान घांची निवासी पालड़ी (एम) तहसील शिवगंज जिला सिरोही
2.ओबाराम पुत्र हंसाजी
3.छगनलाल पुत्र हंसाजी
4.प्रतापराम पुत्र हंसाजी
5.नेनू पुत्री हंसाजी
6.वरजू पुत्री हंसाजी
7.हकमाराम पुत्र दरगाजी
8.देवली पुत्री दरगाजी
9.पांची पुत्री दरगाजी
10.धनकी पुत्री दरगाजी
11.शंकरलाल पुत्र पुनाजी
12.रामाराम पुत्र पुनाजी
13.नवली पत्नी पुनाजी
14.लच्छी पुत्री पुनाजी
15.मंजु पुत्री पुनाजी
16.पवनी पुत्री पुनाजी
17.ववी पुत्री पुनाजी
सर्वजातियान घांची निवासी पालड़ी (एम) तहसील शिवगंज जिला सिरोही
18.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही।

विद्वान अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 205/2012

–::निर्णय::–

दिनांक 15.02.2023

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) शिवगंज के न्यायालय में पेश होने पर दिनांक 25.01.2012 को दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण कें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है–

वादीगण का निवेदन है कि मौजा वेराविलपुर पटवार हल्का पालड़ी एम. तहसील शिवगंज में कृषि भूमि खसरा नम्बर 989/25 रकबा [illegible] 15 बिस्वा किस्म ब.1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2019 से 202[illegible] अनुसार सोमा वल्द वाला घांची निवासी पालड़ी एम का नाम अंकित है परन्तु सोमा का इस [illegible] पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और सोमा की मृत्यु पश्चात् राजस्व कर्मचारि[illegible] गलत रूप से कब्जे का भौतिक सत्यापन किए बिना सोमा के वारिसान अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के [illegible]कित कर दिए गए है। खातेदारी में दर्ज नाम पुनाराम का स्वर्गवास हो जाने से उन[illegible]सान प्रतिवादी संख्या 11 से 17 बनाया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर सोमा वल्द वाला या प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। ओर न हि इन्होंने इस जमीन पर कभी काश्त की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:33:59 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

बल्कि उक्त कृषि भूमि पर संवत् 2019 से पूर्व से वादीगण के पिता उदयसिंह के कब्जे काश्त में थी तथा उनकी तरफ से खेती उनके छोटे भाई जुआरसिंह उर्फ जुवारसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत निवासी पालडीएम करते थे। इस प्रकार वादीगण के पिता उदयसिंह निरन्तर एवं निर्बाध रूप से बिना किसी रूकावट के शांति पूर्वक सोमा वल्द लाला के हक अधिकारों के विरूद्ध बतौर मालिक अपना हक जताते व बताते सोमा व आमजन की जानकारी में काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास वर्ष 2006 में हो गया है कब्जे के तथ्य की पुष्टी गिरदावरी संवत् 2019 से 2022 से भी होती है। ओर उदयसिंह की ओर से व उनके लिये जवारसिंह द्वारा समय समय पर लगान भी अदा किया है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत रूप से प्रतिवादीगण का नाम अंकित होने से प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को विक्रय करने की फिराक में है। व विक्रय करने की धमकीयां दे रहे है। वादीगण अपने पूर्व रसाधिकारीयों के जरिये पिछले 52 वर्षो से बतौर मालिक प्रतिवादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने से विधि में वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित आराजी के खातेदार कृषक बन चुके है। ओर वादीगण उक्त आराजी के खातेदार कृषक होने की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से वादीगण का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 ता 17 प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा हेतु पेश है। वादीगण की यह प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्यां 1 ता 17 के विरूद्ध डिक्री वाद ग्रस्त आराजी में खातेदार होने की घोषणा व जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित किये जाने डिक्री प्रदान करावें।

वादी का वाद दिनांक 25.01.2012 को दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हुए। दिनाक 08.02.2012 को प्रतिवादी सं0 1 ता 7 तथा 11 ता 17 की ओर से अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 29.02.2012 को प्रतिवादीगणों का जवाबदावा पेश हुआ तथा दिनांक 11.04.2012 को तनकीयात कायम की गई। दिनांक 25.07.2012 को वादी के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश हुआ। दिनांक 24.07.2013 को साक्ष्यवादी हेतु जुआरसिंह उपस्थित हुए। जिनके शपथ पत्र पर जिरह होकर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 14.08.2013 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 ए सी.पी.सी. पेश किया व दिनांक 04.09.2013 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) पेश किया व दिनांक 30.04.2014 को उक्त प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई व दोनों पक्षों को दस्तावेज पेश करने व रिकोर्ड पर लेने की स्वीकृति दी गई। दिनांक 21.09.2016 को वादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया। दिनांक 15.02.2017 को प्रतिवादी संख्या एक के कायम मुकाम नोटिस पेश किए जिन्हें जारी किया गया। प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/4 के सम्मन तामील होने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नहीं करने से इनके विरूद्ध दिनांक 22.07.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 13.08.2020 को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) व धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया गया। दिनांक 26.08.2020 को वकील वादी के द्वारा P.W. 4 नींबाराम का शपथ पत्र पेश किया व दिनांक 09.09.2020 को शपथ पत्र P.W. 3 वचनसिंह की जिरह कलमबंद की गई। व दिनांक 16.09.2020 को P.W. 4 नींबाराम की जिरह कलमबंद की गई। दिनांक 7.10.2020 को गवाह P.W. 5 व P.W. 6 के शपथ पत्र पेश किये गये। दिनांक 21. 10.2020 को P.W. 5 की जिर[illegible]20 को प्रतिवादी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1[illegible] का प्रस्तुत किया जिसका जवाब वादी अधिवक्ता नें दिनांक [illegible] इसी दिन बहस सुनकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कि[illegible] को साक्ष्य वादी P.W. 6 उकाराम की वादी जिरह कलमबंद कर साक्ष्यवादी बंद की गई। दिनांक 13.01.2021 को प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण सं0 2,3,12 व स्वतंत्र [illegible]ाह मगाराम के शपथ पत्र पेश किये। दिनांक 27.01.2021 को छगनलाल D.W.1 से वादी अधिवक्ता ने जिरह की। दिनांक 24.02. 2021 को D.W.3 से साक्ष्य जिरह कलमबंद कर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:33:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–3

दिनांक 14.07.2021 को प्रतिवादी संख्यां 1/4 लीलू की मृत्यु होने से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिसे उस पर कोई आपत्ति नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये व सम्मन तामीली हेतु जारी किये गये। दिनांक 31.08.2022 तक समस्त कायम मुकाम की तामीली प्राप्त हुई। दिनांक 14.09.2022 को वादी अधिवक्ता ने संशोधित अनवान पेश किया। दिनांक 8.02.2023 को उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की वहस सुनी गई।

विवाधक (तनकीयात):–

(1) आया वादग्रस्त आराजी की खातेदारी घोषणा पाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

(2) आया वादीगण का अपने पिता व चाचा के जीवन काल से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहने से प्रतिकूल कब्जा नहीं रहा है।

जिम्मे प्रतिवादी

(3) प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार टिनेन्ट के विरूद्ध वादीगण को खातेदारी प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

(4) प्रतिवादीवादीगण अपने पूर्वजों के समय से बहैसियत खातेदार के वादग्रस्त भूमि पर काबिज होने से वाद बिना कब्जे के आधार पर मय खर्चा खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी

(5) विशेष हर्जाना रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये गलत वाद पेश होने से प्रतिवादीगण पाने के अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी

उपरोक्त विवाधको पर वादीगण ने मौखिक साक्ष्य P.W. 1 ईश्वरसिंह, P.W. 2 जुआरसिंह, P.W. 3 वचनसिंह, P.W. 4 नींबाराम एवं बिघोडी रसीदात प्रदर्श 1 लगाय प्रदर्श 33 तक दस्तावेज प्रस्तुत किए। P.W. 1 ईश्वरसिंह ने जिरह में स्वीकार किया है कि मैं जलदाय विभाग में कार्यरत हूँ वादीगण सभी सरकारी नौकरी में है सम्वत 2011 में किसके नाम कि गिरदावरी थी मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं की सम्वत 2019 में क्या काश्त हुयी। 2020 से 2022 तक क्या काश्त हुयी मुझे पता नहीं। प्रदर्श 6 से 20 सोमाराम, खीमा, हंसीया के नाम की है, प्रदर्श 20 के पश्चात की रसीदे हमारे पास नहीं है। उक्त गवाह ने स्वयं द्वारा लगातार काश्त करने के कथन नहीं किए है, P.W. 2 जुआरसिंह, ने जिरह में स्वीकार किया है। मैनें जमीन के कागजात देखे है। जिसमें सोमाराम वालाजी दर्ज है, जो सम्वत 2019 में है, वादग्रस्त भूमि के खसरा नं. मुझे याद नहीं है। मैं अपनी 20 बीघा भूमि में मजदूरो से खेती करवाता हूँ, स्वयं ने खेती नहीं की है। मेरे पास काश्त पर जमीन लेने की लिखापढी नहीं है, यह बात सही है, कि 2019 में स्वयं उदयसिंह ने खेती नहीं की है। उस समय उदयसिंह तहसील में नौकरी करते थे, उदयसिंह के चारो लडके नौकरी में है। मैने किस सम्वत में खेती छोडी मैं नहीं बता सकता उदयसिंह के सगे भाई वागाराम ने किस सम्वत में खेती की मुझे पता नहीं, वागाराम ने कितने वर्ष काश्त की, कितने वर्ष खेत पडा रहा मुझे पता नहीं। P.W. 3 वचनसिंह प्रदर्श 2 गिरदावरी प्रस्तुत की जिसमें सोमाराम का नाम दर्ज है, ना.सं. 362 के विरूद्व हमने अपील पेश नहीं की। प्रदर्श 4 से 20 में खसरा नं. दर्ज नहीं बल्कि नाम दर्ज है। प्रदर्श 6 लगाय 2[illegible] सोमाराम के नाम की है, प्रदर्श 22 लगाय 28 ढालबाछ में सोमाराम का नाम दर्ज [illegible] P.W. [illegible] नींबाराम ने जिरह में स्वीकार किया की में वादग्रस्त खेत की च[illegible] [illegible] के पिता सरकारी नौकरी में है, एवं चारों वादीगण सर[illegible] [illegible]सिंहजी के वक्त में बाहर जाता था यह बात सही है कि वादीगण के कहने से आ[illegible]शी पर आया हूँ। वादीगण की उपरोक्त मौखिक साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत तमाम दस्तावेज प्रतिवादीगण सोमा वगैराह के नाम होना स्वीकार किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:33:59 IST
Reason: Self Attested

लगातार पेज–4

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

वादीगण ने पुराने कब्जे काश्त कि गिरदावारी पेश नहीं कि है, वादीगण कि ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुयी है, जिसमें वादीगण का पुराना लगातार कब्जा काश्त दर्ज रहा हो एवं वर्तमान में वादीगण का कब्जा होना भी प्रमाणित नहीं है जबकि वादीगण ने स्वीकार किया है कि वादीगण के पिता व वादीगण लगातार राजकीय सेवा में है। जिससे कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होता है।

प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य DW- 1, 2, 3 प्रस्तुत किए है। प्रतिवादीगण ने जवाबदावें के साथ प्रदर्श ए–1 लगाय प्रदर्श ए–15 तक एवं प्रदर्श ए–16 ए दस्तावेज पेश किये। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त व खातेदारी होना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण कि साक्ष्य का पूर्णतया खण्डन किया है। वादीगण ने यह सावित नहीं किया है कि उन्होने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर कब व कैसे काबिज हुए। जिससे उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से वादीगण का प्रतिवादीगण के विरूद्व वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होना प्रमाणित नहीं है न हीं वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा होना ही प्रमाणित है। प्रतिवादीगण ने यह विधिक आपत्ति उठाई है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस वाद के तथ्यों से मेल नहीं खाने से चस्पा नहीं होती है।

वादीगण ने यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का प्रावधान है। जिसके संबंध में वादी ने निम्नलिखित नजीरें पेश की है –

RRT2019 (2) Page no. 1354
RRT2019 (1) Page no. 202
RRT2019 (2) Page no. 1388
RRT2019 (1) Page no. 7

प्रतिवादीगण ने वादपत्र के विरोध में निम्न नजीरे प्रस्तुत की है।

RRT2011 (2) Page no. 721
RRT2020 (1) Page no. 217
RRT2020 (1) Page no. 449
RRT2017 (2) Page no. 1102
RRT2015 (2) Page no. 1077
RRT2011 (2) S.C 834
RRT2011 (2) Page no. 721

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पंहुचे कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन एवं कानूनी नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार प्रतिवादीगण खीमाराम वगैरह (1 लगाय 17) है। उक्त वादग्रस्त खातेदारी भूमि पर प्रतिकूल कब्जे का सिद्वान्त लागू नहीं होने से वादीगण को खातेदारी प्रदान किया जाना उचित नहीं है। RRT2011 (2) Page no. 721 FULL BENCH के (पैरा–77) निर्णय बअनवान श्री जगदीश व अन्य बनाम श्री सीताराम के निर्णय दिनांक 3.06.2011 में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि **''काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलों में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागु होते हैं। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते। नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। निर्णित, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते।''**

अतः वादीगण का वाद प्रमाणित नहीं होने से एवं विधि के सिद्वान्त में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का प्रावधान नहीं होने से वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 16:33:59 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.02.2023 को जारी किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) शिवगंज
सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)